लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./88/2010/3045 भोपाल, दिनांक 4/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 20010–11 के बिन्दु क्रमांक–5 में निहित निर्देशों के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.–2 में उल्लेखित प्र.अ./उच्च श्रेणी शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक–6 में दर्शित जिले में किया जाता है:–

स.क्रं.	नाम एवं पदनाम एवं संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान पदांकित जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कृष्णा ध्रुवे, उच्च श्रेणी शिक्षक, शास.क. उ. मा.वि.सिविल लाईन	AN-6219	कटनी	23380201903	छिन्दवाडा
2.	श्री नकुल सिंह चौधरी, उ. श्रे.शि., शा.उ.मा.वि.तिरोड़ी	AC-7158	बालाघाट	23450377703	छिन्दवाडा
3	श्री हरीराम सैनीला, प्र.अ.शा.प्राथ.शा.सियासी संकुल केन्द्र उ.मा.वि. अटारीखेजड़ा	BF-1527	विदिशा	23310201601	भोपाल

2/ उक्त जिला सवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध,कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010–11 की कंडिका–9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त

लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

निरंतर...2...

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./88/2010/3046 भोपाल, दिनांक 14/06/2010

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर की ओर अनुमोदन टीप क्रमांक 29 दिनांक 07.06.2010 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कलेक्टर,जिला–कटनी, बालाघाट छिन्डवाडा, विदिशा एवं भोपाल म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग– जबलपुर एवं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– कटनी, बालाघाट, छिन्डवाडा, विदिशा एवं भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

7. सहायक संचालक, समन्वय(स्थानीय) की ओर क्रमांक 547 दि. 12.04.2010 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./94/2010/3095 भोपाल,दिनांक 15/06/2010

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2010–11 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.–2 में उल्लेखित सहायक शिक्षकों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:–

स.क्रं.	नाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गयाप्रसाद शर्मा, सहा.शिक्षक,	अप्राप्त	शा.मा.वि.पिपरसाना खण्ड गोहद जिला भिण्ड	अप्राप्त	ग्वालियर
2.	श्री रविन्द्र कुमार लहरिया,सहा.शिक्षक	BG-5539	(जनशिक्षक), जनपद शिक्षा केन्द्र गोहद जि. भिण्ड	2303078502	ग्वालियर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली–भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहॉ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध,कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2010–11 की कंडिका–9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरंतर...2...

3/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक स्था.3/सी–2/अं.जि.स्था./96/2010/3096 भोपाल,दिनांक 15/06/2010

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय–भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर पत्र टीप क्रमांक 1304/रां.मं./स्कू.शि. दि. 14.06.10 में प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. कलेक्टर,जिला–भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला– भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग– ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी,जिला– भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

9. सहायक संचालक,समन्वय(स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश